न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत माधोराजपुरा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 50/2015

रज्जु दिनांकः 27/04/2015

निर्णय दिनांक : 16/05 /2017

ज्ञानचंद पुत्र सत्यनारायण जाति कुमावत, निवासीः ग्राम माधोराजपुरा तहसील, फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जतिन पुत्र स्व. दिनेश जाति कुमावत नाबालिक जरिये संरक्षिका माता हेमलता पत्नि स्वर्गीय दिनेश निवासीः माधोराजपुरा, हाल निवासीः शिव कॉलोनी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. हेमलता पत्नि स्वर्गीय दिनेश निवासीः माधोराजपुरा, हाल निवासीः शिव कॉलोनी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक तहसील फागी, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जिसमे सफलता की पूरी—पूरी आशा है। विवादित आराजी खतौनी संख्या 218 के आराजी खसरा नंबर 962 रकबा 6 बिस्वा, 963 रकबा 4 बिस्वा, 964 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

किता 3 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी में स्थित है। भूमि की पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की माताजी प्रेमदेवी धर्मपत्नि सत्यनारायण .के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हुई उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दिनेश का स्वर्गवास हो गया जिसका वारिश अप्रार्थी संख्या 1 है इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर लगान सरकार अदा करते चले आ रहे है। उपरोक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी संपूर्ण पर अपने माता पिता के देहान्त के पश्चात् मौके पर काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दिनेश का स्वर्गवास होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को भी प्रार्थी ही काश्त करता आ रहा है तथा उसमें होने वाली आय से अप्रार्थी संख्या 1 के लालन पोषण, शिक्षा आदि में खर्च करता चला आ रहा है। विवादित भूमि व अपनी अन्य भूमियो पर प्रार्थी मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहकर अपना व अप्रार्थी संख्या 1 का भरण पोषण करता चला आ रहा है लेकिन कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 की माता हेमलता की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वह विवादित भूमि में जो उसके पति स्व दिनेश का हिस्सा है उसका अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर विक्रय करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने पिता/पति की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी व उसके परिवार से काफी मनमुटाव व रंजिश रखने. लगी है और जिसके लिये अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसके परिवारके खिलाफ विभिन्न अदालतो में मुकदमे पेश कर रखी है तथा उपरोक्त विवादित भूमि को भी अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर यथाशीघ्र बिना तकासमा ही विक्रय करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 13.04.2015 को उपरोक्त विवादित भूमि पर अपने कुछ रिश्तेदारो के साथ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर विवादित भूमि को विक्रय करने की बातचीत करने लगे तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से कहा कि वह विवादित भूमि को दिगर व्यक्तियो को विक्रय नहीं कर सकती है प्रार्थी संपूर्ण भूमि को काश्त कर उसके हिस्से की पैदावार उसे .देता चला आ रहा है तथा दोनो संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त है तथा कहा कि वह बिना विधिवत तकासमा कराये उपरोक्त विवादित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकती है जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से कहा कि विवादित भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदारी उसके पति के नाम दर्ज है उसका वह अपने व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामान्तकरण खुलवाकर

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

विक्रय कर प्रार्थी को उसके हिस्से से वंचित करके ही रहेगी उसे भूमि का बंटवारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है जो क्रेता होगा वह जबरन जो अच्छी भूमि होगी उस पर अपना कब्जा कर लेगा और ऐलानिया धमकी दी कि वह यथाशीघ्र अपने हक में नामान्तकरण तस्दीक करवाकर भूमि को हर सूरत में बिना तकासमा ही विक्रय करके ही रहेगी। विवादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है और यदि अप्रार्थीगण बिना तकासमा कराये ही उसके हिस्से को विक्रय कर प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल कर देगे तो प्रार्थी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी जिससे भी प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद विभाजन एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करे। प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे न किसी अन्य से करावे तथा पाबंद किया जावे के अप्रार्थी संख्या 2 जब तक अप्रार्थी संख्या 1 बालिक नहीं हो जावे उपरोक्त भूमि को किसी को विक्रय या हस्तांतरण नहीं करे तथा बिना तकासमा कराये अपने हिस्से को किसी को भी विक्रय या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दिनांक 27.04.2015 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 962 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 963 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 964 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उप0। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार राज0 उप0। अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, दावा पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 962 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 963 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 964 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी/वादी ने मूल वाद तकासमा का पेश किया है।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। इस कारण न्यायालय के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 962 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 963 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 964 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट माधोराजपुरा में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)